International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 1; Issue 5; September 2016; Page No. 06-09

आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म का सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक योगदान

Shyam Vir

Department of Buddhist Studies, University of Delhi, New Delhi, India

प्रस्तावना

संसार के अधिकांशतः भागों में सफलतापूर्वक प्रसार और अब भी मानव जाति के एक बड़े भाग को अपने द्वारा प्रभावित करते हुए देखने से मालूम होता है कि बुद्ध अपने समय के स्वतंत्र विचारकों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। बुद्ध के विचार वैज्ञानिक हैं। तार्किक हैं। प्रायोगिक हैं और अनुभवजन्य सत्य पर आधारित हैं तथा तर्क की कसौटी पर खरा उतरते हैं। इसके साथ–साथ बुद्ध के विचारों में सामाजिकता, व्यावावहारिकता नैतिकता, मानवीयता, दया और करूणा का सामंजस्य पाया जाता है, जिसमें मात्र मानव का कल्याण ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीव–जगत के कल्याण का उद्देश्य अन्तर्निहित है। भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर आज मानव, मानवीय भावना से प्रभावित है। वह जन कल्याण की ओर अग्रसर है। ब्राह्मणवादी धार्मिक शिक्षा पद्धति की, जड़ वर्ण व्यवस्था, कर्मकाण्ड, छुआ–छूत, अज्ञानता, अंधविश्वास, आडम्बर, असमानता, घृणा, द्वेष, कलह, शोषण, तिरष्कार एवं अमानवीय मूल्यहीनता की भावना से ग्रसित मानव आधुनिक समय में भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर सम्पूर्ण मानवता में सामाजिकता, व्यावहारिकता, नैतिकता, मानवीयता, दया एवं करूणा का प्रसार कर रहा है जिससे सम्पूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ध्येय श्बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पायश है। इस हेतु बौद्ध धर्म का आधुनिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बहुआयामी, विशिष्ट और अमिट प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म ने आधुनिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक पहलू पर अपनी अमिट छाप छोड़कर उन सभी क्षेत्रों को बहुत प्रभावशाली ढ़ग से प्रभावित किया है जैसे–सामाजिक, नैतिक/धार्मिक, दार्शनिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक एवं साहित्यिक क्षेत्र इत्यादि। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बौद्ध धर्म की श्बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पायश की कल्याणकारी अवधारणा का प्रभाव देखा जा सकता है। आधुनिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बौद्ध धर्म का बहुआयामी और विशिष्ट योगदान रहा है। बौद्ध धर्म ने व्यापक और विस्तृत क्षेत्रों को अपने में समाहित किया है। इस प्रकार आधुनिक भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।[1] इसका विश्लेषण क्रमसः इस प्रकार किया जा सकता है।

सामाजिक योगदान

सामाजिक क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने विषमता को हटाकर, समता, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव एवं सदाचार को स्थापित किया था। भगवान बुद्ध ने वर्णवाद, जातिवाद, छुआ–छूत, उंच–नीच आदि सभी विषमतामूलक व्यवस्थाओं को समाप्त करने का कार्य किया तथा समता पर आधारित लोकतांत्रिक समाज की रचना की,[2] नारियों को शोषण, अत्याचार एवं अन्याय से मुक्त किया।[3] इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने लोकतांत्रिक[5] समाज की रचना करके सामाजिक न्याय की संकल्पना स्थापित की जो वर्तमान समय तक समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है।

भारत का संविधान सामाजिक न्याय[5] की उद्घोषणा करने वाला एक प्रभावी दस्तावेज है जिसका आभास इसकी प्रस्तावना से ही हो जाता है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को लोगों के मूल उद्धेश्य (मौलिक अधिकार)[6] के रूप में वर्णित किया गया है। जहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान का उद्धेश्य अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता का विकास करना है।[7] भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कई संवैधानिक प्रावधान बौद्ध धर्म और दर्शन की मूल भावना से ओत–प्रोत हैं।

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से जुड़े प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैंः–

(1) मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग–3, अनुच्छेद 12 से 32 में किया गया है।[8] ये अधिकार सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकतंत्र के सर्वोत्तम लाभ तथा जीवन की आधारभूत स्वतंत्रता एवं सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो जीवन को विशिष्ट एवं सर्वोत्तम बनाती हैं। मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान में जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, वे हैंः– समानता का अधिकार– इसके तहत विधि (कानून)[9] के समक्ष समानता (अनु0 14), केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा (अनु0 15), अवसर की समता (अनु0 16), अस्पृश्यता[10] का उन्मूलन (अनु0 17) तथा उपाधियों का अंत (अनु0 18) इत्यादि। समानता का सिद्धान्त भगवान बुद्ध के द्वारा प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता, बन्धुता एवं न्याय की अवधारणा पर आधारित है।

स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनु0 19 में वाक् स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण जिसके तहत सभी नागरिकों को (क) वाक् स्वातंत्र्य[11] और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, (ग) संगम या संघ बनाने का (घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, (ड़) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा, शोषण से सुरक्षा इत्यादि। इसके साथ–साथ किसी भी धर्म को मानने उसका अनुशरण करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता[12] (अनु0 25), सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बंधी अधिकार[13] (अनु0 29–30) इत्यादि उपर्युक्त सभी संवैधानिक प्रावधान बौद्ध दर्शन की मूल भावना से प्रभावित हैं।

मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 (क) के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक के लिये कुछ मौलिक कर्तव्य[14] भी सुनिश्चित किये गये हैं जिन्हें 42 वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम् से स्थापित किया गया है।[15]

(2) नीति–निर्देषक सिद्धांत

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 (अनु0 36–51) में संकलित हैं। ये सिद्धांत मूलतः सामाजिक न्याय के विषय हैं। यद्यपि ये न्याय निर्णय नहीं हैं तथापि न्यायालय इनके प्रति बिल्कुल उदासीन नही रह सकते। संविधान के (अनु0 38) में यह कहा गया है कि राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सबको सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो, के माध्यम् से लोगों के कल्याण के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। अनु0 41 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं व क्षमता के अनुरूप लोगों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता तथा अन्य प्रकार की अशक्तता की अवस्था में काम और शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करे[16]। उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान भी बौद्ध धर्म और दर्शन की मूल भावना से प्रभावित है।

अनुच्छेद 43 श्रमिकों के हित संवर्धन से सम्बन्धित है।[17] अनुच्छेद 45 के तहत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध किया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गो के हितों की अभिवृद्धि के सम्बंध में अनुच्छेद–46 अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके तहत राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान भी भगवान बुद्ध की लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित है।

(3) आरक्षण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 के तहत क्रमशः लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में इन जातियों के लिए स्थान आरक्षित[18] किये गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व[19] देने के लिये आश्वासन दिया गया है। इन जातियों को शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो रियायतें प्रदान की गई हैं, उनमें मुख्य हैः– आयु सीमाओं में छूट, कार्यकुशलता का निम्न स्तर पूरा करने पर उनका चयन, नीचे की श्रेणियों में उनकी नियुक्ति और पदोन्नति का विशेष प्रबंध है।[20]

(4) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विषेष अधिकारी

संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा[21] जिसका कर्तव्य होगा कि वह इन वर्गों के लिये संविधान द्वारा प्रदत्त रक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अध्ययन करे और उन रक्षा उपायों के कार्य– कलापों के बारे में ऐसे अंतराल पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें रिपोर्ट दे। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगे।

(5) पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की समस्याओं का अध्ययन करके उनकी दशा में सुधार के लिये आवश्यक उपाय सुझाने की दृष्टि से राष्ट्रपति एक आयोग गठित कर सकते हैं।[22]

भारतीय समाज में कई ऐसे कमजोर वर्ग हैं विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाएं इत्यादि जो सदियों से पीड़ित रहे हैं। इन वर्गों की मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त व्यापक विधानों का निर्माण और उनको प्रभावकारी ढंग से लागू करना जरूरी था। इस संदर्भ में सामाजिक न्याय सम्बंधी मुख्य विधान निम्नलिखित हैं–

- अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 [23]
- महिलाओं एवं बालकों से सम्बंधित सामाजिक विधान [24]
- श्रमिकों के हित संरक्षण सम्बंधी विधान।[25]
- कल्याण कार्यक्रम और सामाजिक न्याय।[26]

'सामाजिक न्याय'[27] डॉ. बी.आर. आंबेडकर का समतामूलक समाज के निर्माण हेतु सर्वप्रथम उद्देश्य था। अर्थात् 'सामाजिक न्याय' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शोषित वर्ग के हितों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक भारत में स्वाधीनता के उपरांत कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बहुमुखी प्रयास किए गये हैं।[28] इन प्रयासों का मूलस्रोत भारतीय संविधान है क्योंकि सामाजिक न्याय के आधार पर एक नये समाज की रचना को संविधान का मूल लक्ष्य निरूपित किया गया है। इस उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए संविधान जहां एक ओर सभी नागरिकों, चाहे वे सशक्त या कमजोर हों, को स्वतंत्रता तथा अवसर की समता एवं विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है वहीं कमजोर वर्गों को कई मामलों में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्धेश्य से कुछ विशेष उपबन्ध करता है।[29]

भारत में कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय[30] सुलभ कराने के उद्धेश्य से व्यापक उपाय किए गये हैं। ये सभी उपाय संवैधानिक दायरे के अंतर्गत हैं और उदारतापूर्ण हैं। भारत में कमजोर वर्गों की जो भी परम्परागत निर्योग्यतायें थीं, उन्हें दूर किया गया है और इन्हें आरक्षण व सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में विशेष उपबन्ध भी किये गए हैं। इसके साथ–साथ इन्हें शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिये आवश्यक रक्षोपायों की व्यवस्था के अतिरिक्त उपयोगी विधानों के निर्माण का प्रावधान किया गया है तथा उनके शैक्षणिक व आर्थिक विकास के लिये विविध योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने के लिये राज्य को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है।[31]

उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक व्यवस्था के वे विभिन्न पहलू जो सामाजिकता, व्यावहारिकता, नैतिकता, मानवीयता एवं सदाचार को बढ़ावा देते हैं तथा बौद्ध धर्म की ष्बहुजन हिताय बहुजन सुखायष की अवधारणा पर आधारित हैं वे भारतीय संविधान में विधि सम्मत हैं। आधुनिक भारत में उपर्युक्त विषयों की वैधानिकता के कारण मानवीय तथा कल्याणकारी तत्वों को बल मिला है इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।

धार्मिक योगदान

धार्मिक दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म में धार्मिक सहिष्णुता[32] और उदारता पर बल दिया गया है, धार्मिक कट्टरता और जड़ता के लिये बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म का बलात् धर्मारोपण कभी नहीं किया गया। धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता और उग्रता के लिए बौद्ध धर्म में कोई जगह नहीं है। बौद्ध धर्म धार्मिक सहिष्णुता की अवधारण पर आधारित है। यह बौद्ध धर्म और दर्शन का ही महानतम योगदान है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।[33] भारतीय संविधान में (अनु0 25–28 तक) धार्मिक स्वतंत्रता को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है।[34]

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के अन्तःकरण की और धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने

और प्रचार करने का समान हक होगा।[35] उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान बौद्ध धर्म और दर्शन से प्रेरित हैं।

अनुच्छेद. 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को–

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और

(घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।[36]

अनुच्छेद. 27 के अन्तर्गत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

अनुच्छेद. 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

नैतिकता के क्षेत्र में गौतम बुद्ध ने नैतिक जीवन के लिए पंचशील[37] का सिद्धांत दिया है। नैतिकता, सदाचार के नियम, पंचशील इत्यादि महामानव गौतम बुद्ध की खोज और प्रयोग हैं जो भारतीय संस्कृति और समाज के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज को सुखी, सम्मानित और सुन्दर जीवन जीने के लिये प्रदान किए गए हैं। चरित्र निर्माण के लिए पंचशील का पालन करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। पंचशील ही जीवन की सही शिक्षा है। सुन्दर, सुखद, सम्मानित जीवन के लिए बुद्ध ने पंचशील को नैतिक शिक्षा का स्वरूप दिया। भगवान बुद्ध ने मनुष्य को इसी जीवन में सुखी बनाने का मार्ग (अष्टांगिक मार्ग) दिया जो कि एक वैज्ञानिक सोच का परिणाम माना जाता है।[38]

भगवान बुद्ध ने नरक, स्वर्ग, आत्मा, परमात्मा एवं भाग्य पर आधारित धर्म से मुक्त करके व्यक्ति, समाज एवं देश, को सत्य, अहिंसा, मैत्री, करूणा, प्रेम व शांति पर आधारित समतावादी धर्म दिया जिसका आधार प्रेम है तथा धुरी मानवता है। यह नैतिक व धार्मिक क्षेत्र में बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है जो कि आधुनिक समय में ष्बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पायष हेतु सर्वथा प्रासंगिक है।[39]

सांस्कृतिक योगदान

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म ने ष्सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाष[40] की उक्ति को चरितार्थ किया है। भारत से बाहर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रचार–प्रसार का श्रेय बौद्ध धर्म को है। भारत के बौद्ध भिक्षु, आचार्य, संत तथा विभिन्न विद्वानों ने विदेशों में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार किया।[41] ई0 पू0 तीसरी सदी से इन प्रचारकों के साथ–साथ भारतीय संस्कृति अप्रत्यक्ष रूप से मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, खोतान, तिब्बत, नेपाल, वर्मा से लेकर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देशों में प्रसारित हुई। इन देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान हुए। आधुनिक समय में भी यह व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान और अधिक विकसित करने के उपाय किये जा रहे हैं। बौद्ध धर्म ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया है। इसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्मावलम्बी अनेक विदेशी श्रद्धालु जन, भारत में बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु आने लगे। अनेक विदेशी श्रद्धालु जन भारत के बौद्ध विहारों के विद्याध्ययन और बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रहने लगे।

इस प्रकार भारतीय तथा विदेशियों के मध्य सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ और भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्रचार–प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके परिणामस्वरूप मध्य एशिया और दक्षिण–पूर्वी एशिया के अनेक देशों के जीवन पर भारतीय धर्म और संस्कृति की अमिट छाप पड़ी । इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि विदेशों में बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का अग्रगामी दूत था।[42]

आधुनिक भारत में भारतीय संविधान में, सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बंधी अधिकारों को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है।[43]

भारतीय संविधान अनुच्छेद–29 में ''अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण'' का उपबन्ध करता है। इसके अंतर्गत, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।[44]

राज्य द्वारा पोषित, राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।[45]

अनुच्छेद 30 में शशिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारश[46] का उपबंध किया गया है जिसके अंतर्गतः–

1. धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक–वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
2. शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक–वर्ग के प्रबंध में हैं।[47]

इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म ने ष्सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयाष तथा षजियो और जीने दोष[48]की अवधारणा पर जो बल दिया है वह आधुनिक भारत में भी सम्पूर्ण मानवता के कल्याण हेतु सर्वथा प्रासंगिक है।

उपसंहार

आधुनिक समय में कार्लमार्क्स के द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के सिद्धान्त से बहुत पहले ही भगवान बुद्ध द्वारा साम्यवादी सिद्धान्त की स्थापना की जा चुकी थी। सम्पत्ति के उपभोग में उन्होंने समता का मार्ग अपनाया था और संघ हेतु प्रशासनिक प्रक्रियओं की नींव डालते समय जनतांत्रिक प्रणाली प्रदान की थी। भिक्खु संघ का सदस्य केवल तीन चीवर, अस्तुरा, सुई धागा, जल, छक्का, भिक्खापात्र आदि वस्तुओं को ही व्यक्तिगत रूप से अपने पास रख सकता था, शेष सम्पत्ति संघ की मानी जाती थी। यही तो आज के साम्यवाद का मूल सिद्धांत है। मार्क्सवाद का साम्यवाद तो केवल आर्थिक समानता का मूल सिद्धांत है जो कि केवल आर्थिक समानता की बात करता है परन्तु तथागत बुद्ध ने सामाजिक असमानता और अन्याय के विरूद्ध आंदोलन आरम्भ किया था अर्थात् मानव की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास किया था। बौद्ध धर्म और दर्शन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय का प्रतीक है जो कि समानता, स्वतंत्रता, बधुत्व एवं न्याय पर बल देता है। बाबा साहेब डॉ आंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए, विशेषतया सन् 1956 में उनकी बौद्ध धर्म में दीक्षा के पश्चात् दलित जातियों में बौद्ध धर्म अपनाने की उत्सुकता बढ़ी है। यह एक प्रकार से बौद्ध धर्म के पुनरोदय एवं सामाजिक परिवर्तन का स्वर्णिम युग है। विश्व शांति, अहिंसा, सह–अस्तित्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समता एवं बंधुत्व की भावना के साथ–साथ शील–सदाचार के प्रतिपादक बौद्ध धर्म के प्रति करोड़ों दलितों में भारी रूचि बढ़ी है उस पर यूरोप और अमेरिका आदि देशों के समाजशास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। यह बौद्ध धर्म का जनमानस पर पड़े प्रभाव को स्पष्ट करता है। आधुनिक भारत में भारतीय संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक/गणतांत्रिक प्रणाली स्थापित की गई है। जिसके तहत भारत में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्क गणराज्य की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार,

अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिता और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने की बात की गई है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय गणराज्य की लोकतंत्रात्मक/गणतंत्रात्मक/जनतंत्रात्मक प्रणाली लोक कल्याण पर आधारित है जिसका मूल स्त्रोत बौद्ध धर्म की श्बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पायश की विश्व विख्यात जन कल्याणकारी अवधारणा में देखा जा सकता है। शताब्दियों पूर्व भगवान बुद्ध ने जिन सिद्धातों एवं आदर्शो का प्रतिपादन किया वे आज के वैज्ञानिक युग मे भी अपनी मान्यता बनाये हुए हैं। ये सभी सिद्धांत एवं आदर्श सर्वप्रासंगिक और कालातीत हैं। आधुनिक संघर्षशील युग में यदि हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतो का अनुसरण करें तो निःसंदेह शांति एवं सद्भाव की स्थापना हो सकती हैं तथा सम्पूर्ण मानवता का कल्याण सम्भव हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. वैज्ञानिकों के महानायक तथागत (गौतमबुद्ध): लेख– डॉ ब्रजेश कुमार–समतायुग पत्रिका, आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, सम्यक प्रकाशन, पश्चिमपुरी नई दिल्ली, 2007, पृ.40।
2. वही, पृ. 40।
3. वही, पृ. 40।
4. वही, पृ. 40 लोकतांत्रिक व्यवस्था में ष्जनता द्वारा जनता की, जनता के लिएष चुनी गई सरकार होती है।
5. भारत का संविधान एक परिचयः डॉ दुर्गादास बसु, प्रेंटिस हाल ऑफ इंडिया प्रा.लि. नई दिल्ली, 1995, पृ.21।
6. वही, पृ. 78–131।
7. भारत का संविधानः सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद 1998, पृ01।
8. वही, पृ. 4–44।
9. भारत का संविधान एक परिचयः बृज किशोर शर्मा, प्रेंटिस हाल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 2002, पृ. 68।
10. हमारा संविधानः सुभाष काश्यप, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 1997, पृ. 87।
11. भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः किरण झा, अवधेश झा, स्पेक्ट्रम इंडिया, नई दिल्ली, 1998, पृ. 59।
12. वही पृ. 65।
13. वही, पृ. 66ः अनुच्छेद 31 (सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन)– संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 6 द्वारा (20.06.1979) निरसित।
14. भारत का संविधानः सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1998, पृ. 27।
15. हमारा संविधानः सुभाष काश्यप, 1997, पृ. 121।
16. वहीं, पृ. 141।
17. सामाजिक न्याय, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य मेंः लेख– डॉ. जेठराम– समतायुग पत्रिका, आर.पी.राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 38।
18. भारत का संविधानः सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1998, पृ. 142–143।
19. वही, पृ. 143।
20. समतायुग पत्रिकाः आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 38।
21. भारत का संविधानः सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1998, पृ. 145–147।
22. समतायुग पत्रिकाः आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 38।
23. भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः किरण झा, अवधेश झा, 1998, पृ. 61।
24. भारत का संविधानः सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद, 1998, पृ. 25।
25. वही, पृ. 17।
26. समतायुग पत्रिकाः आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 38।
27. वही, पृ. 38 सामाजिक न्याय–समाज में व्याप्त विषमता को कम करने के लिये।
28. वही, पृ. 38।
29. समतायुग पत्रिकाः आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 38।
30. समतायुग पत्रिकाः आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 38।
31. वही, पृ. 38।
32. प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृतिः के.सी. श्रीवास्तव, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद, 1994, पृ. 833।
33. भारत का संविधान एक परिचयः दुर्गादास बसु, 1995, पृ. 112।
34. वही, पृ. 112–115।
35. वही पृ. 114।
36. भारत का संविधानः सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1998, पृ0 17।
37. (क) पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि।।
    (ख) अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि।
    (ग) कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि।।
    (घ) मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि।।
    (ड़) सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि।।
38. वैज्ञानिकों के महानायक तथागत गौतम बुद्धः लेख– डॉ ब्रजेश कुमार– समतायुग पत्रिका, आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 41।
39. समतायुग पत्रिकाः आर.पी. राम, अशोक विजयादशमी, 2007, पृ. 41।
40. सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्।। (प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृतिः के.सी. श्रीवास्तव, 2007, पृ. 18)।
41. प्राचीन भारतीय संस्कृतिः वी.एन. लूनिया, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, नवम् संस्करण 1998, पृ. 316।
42. वही, पृ. 316।
43. भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः कल्पना राजाराम, स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा.लि., नई दिल्ली, 1998, पृ. 66।
44. भारत का संविधानः सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1998, पृ. 18।
45. वही, पृ. 18।
46. वही, पृ. 18–19।
47. वही, पृ. 19।
48. अशोक ने सर्वप्रथम विश्व को षजियो और जीने दोष तथा ष्राजनीतिक हिंसा धर्म विरूद्ध हैंष का पाठ पढ़ाया जो कि भगवान बुद्ध के अहिसावादी सिद्धांत पर अवलम्बित है। प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृतिः के.सी. श्रीवास्तव, 2007, पृ. 236।